संख्या-15/001-18डब्लू-25-27-3099-31-2025

प्रेषक,

**सिद्धाशरण पाण्डेय**
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,**
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3** **लखनऊः दिनांकः 10 मार्च, 2025**

**विषय:मूल संदर्भ वाद संख्या-02/2004 देवेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार पुत्रगण विद्याचरण बनाम उ0प्र0 राज्य जरिये जिलाधिकारी जौनपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2018 के विरूद्ध अर्जन निकाय सिंचाई विभाग द्वारा मा0 उच्च् न्यायालय में योजित प्रथम अपील संख्या-1236/2023 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जरिये कलेक्टर व अन्य बनाम देवेन्द्र कुमार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के संबंध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-72/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/शारदा सहायक, दिनांक 22.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

**2-** अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर से सम्बन्धित सैदपुर माईनर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु मा0 अपर जिला जज/स्पेशल जज (ई0सी0एक्ट) जौरपुर द्वारा मूल संदर्भ वाद संख्या-02/2004 देवेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार पुत्रगण विद्याचरण बनाम उ0प्र0 राज्य जरिये जिलाधिकारी जौनपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2018 के विरूद्ध अर्जन निकाय सिंचाई विभाग द्वारा मा0 उच्च् न्यायालय में योजित प्रथम अपील संख्या-1236/2023 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जरिये कलेक्टर व अन्य बनाम देवेन्द्र कुमार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के अनुपालन में धनराशि रू0 1,58,072.00 (रूपये एक लाख अठ्ठावन हजार बहत्तर) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर से सम्बन्धित सैदपुर माईनर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु मा0 अपर जिला जज/स्पेशल जज (ई0सी0एक्ट) जौरपुर द्वारा मूल संदर्भ वाद संख्या-02/2004 देवेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार पुत्रगण विद्याचरण बनाम उ0प्र0 राज्य जरिये जिलाधिकारी जौनपुर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2018 के विरूद्ध अर्जन निकाय सिंचाई विभाग द्वारा मा0 उच्च् न्यायालय में योजित प्रथम अपील संख्या-1236/2023 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जरिये कलेक्टर व अन्य बनाम देवेन्द्र कुमार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2024 के अनुपालन में धनराशि रू0 1,58,072.00 (रूपये एक लाख अठ्ठावन हजार बहत्तर) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

**4-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 1,58,072.00 (रूपये एक लाख अठ्ठावन हजार बहत्तर) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 094 लेखाशीर्षक-4700-09-050-10-16-24 शारदा सहायक (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

**5-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

**<u>पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मध्य), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, जौनपुर।
9- अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्दशम मण्डल, सिंचाई कार्य, आजमगढ़।
10- अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर।
11- सिंचाई अनुभाग-9
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।